भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 511

जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2020 को दिया जाना है

परमाणु दुर्घटनाएं

511. श्रीमती मीनाक्षी लेखी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु दुर्घटना से जुड़े जोखिम कारकों को न्यूनतम करने के लिए उठाए गए एहतियाती कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), अपने कार्यदल और जनता के प्रत्येक सदस्य, दोनों की विकिरण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए, पिछले छः दशकों से अपनी नाभिकीय सुविधाओं का प्रचालन सफलतापूर्वक कर रहा है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों (एनपीपी) को अतिरिक्तता तथा विविधता के सुरक्षा सिद्धांतों को अपनाते हुए डिज़ाइन किया जाता है और गहन सुरक्षा दृष्टिकोण का अनुपालन करते हुए उनमें 'फेल-सेफ' डिज़ाइन विशिष्टताएं उपलब्ध कराई जाती हैं । इससे कई स्तरों पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है जिससे कि दुर्घटना की संभावना और यदि परिकल्पित दुर्घटना हो जाए तो वातावरण में विकिरण के निस्सरण की मात्रा न्यूनतम रह सके । इसके अतिरिक्त, डीएई के पास नाभिकीय सुविधाओं के डिज़ाइन, विनिर्माण, संस्थापन, कमीशनन एवं प्रचालन के मॉनीटरन के लिए मजबूत नियामक प्रणाली उपलब्ध है । शीघ्र प्रभाव मूल्यांकन और प्रत्युपाय के कार्यान्वयन के माध्यम से, होने वाले परिणामों को कम करने के लिए आपातकालीन तैयारियां स्थापित की गई है । इसके अलावा, जोखिम को और कम करने हेतु अतिरिक्त एहतियाती उपायों के रूप में सभी एनपीपी में, प्रचालन आरम्भ करने से पहले ही, ऑफ-साइट निस्सरण की क्षमता वाली अत्यन्त असंभाव्य न्यूनतम संभाव्यता वाली घटना का सामना करने के लिए भी आपातकालीन तैयारी योजनाएं (ईपीपी) तैयार रखी जाती हैं । आवधिक अभ्यासों के माध्यम से इन ईपीपी का परीक्षण किया जाता है, ताकि निर्णय लेने की क्षमताओं, प्रतिक्रिया समय, प्रतिक्रिया एजेंसियों के बीच समन्वय और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता की पुष्टि हो सके ।

संयंत्रों का प्रचालन उच्च योग्यता वाले, प्रशिक्षित एवं लाइसेंसधारी कार्मिकों द्वारा भली-भांति निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है । नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कार्यरत सभी कार्मिकों को उपयुक्त व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण और मॉनीटरन साधन उपलब्ध कराए जाते हैं । परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा का लगातार मॉनीटरन कर समीक्षा की जाती है ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के गठन के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया कार्यों के कार्यान्वयन की योजना को और मजबूती मिली है । परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने भी विभिन्न पऊवि इकाइयों में आपात प्रतिक्रिया केन्द्र (डीएई-ईआरसी) स्थापित किए हैं जो आपात प्रतिक्रिया कार्यों में सहयोग देने और समन्वयन करने के लिए दिन-रात प्रचालनरत हैं ।

* * * * *